



2026:AHC: 10435

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट सी संख्या- 43734/2025

अमरीका

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : दिनेश कुमार पांडे

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-2

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1- याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दायर की है:-

"क) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जो प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 दोनों को ग्राम लक्ष्मीपुर एकडंगा, तहसील सदर, जनपद महाराजगंज में स्थित गाटा संख्या 294 (बंजर भूमि) पर प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा किए गए अतिक्रमण को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(1) के तहत शीघ्रता से या इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर हटाने का निर्देश दे।"

2- श्री विजय शंकर प्रसाद, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि वर्तमान रिट याचिका ग्राम प्रधान द्वारा एक निजी अधिवक्ता के माध्यम से दायर की गई है, जो विधि में स्वीकार्य नहीं है, इसलिए यह पोषणीय नहीं है।

3- इस स्तर पर, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका को बल न देनेके आधार पर खारिज करने और संबंधित ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान स्थायी अधिवक्ता के माध्यम से नई रिट याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ प्रार्थना की गई है।

4- प्रार्थना स्वीकार की जाती है।

5- रिट याचिका माँगी गई स्वतंत्रता के साथ खारिज की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



16 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।